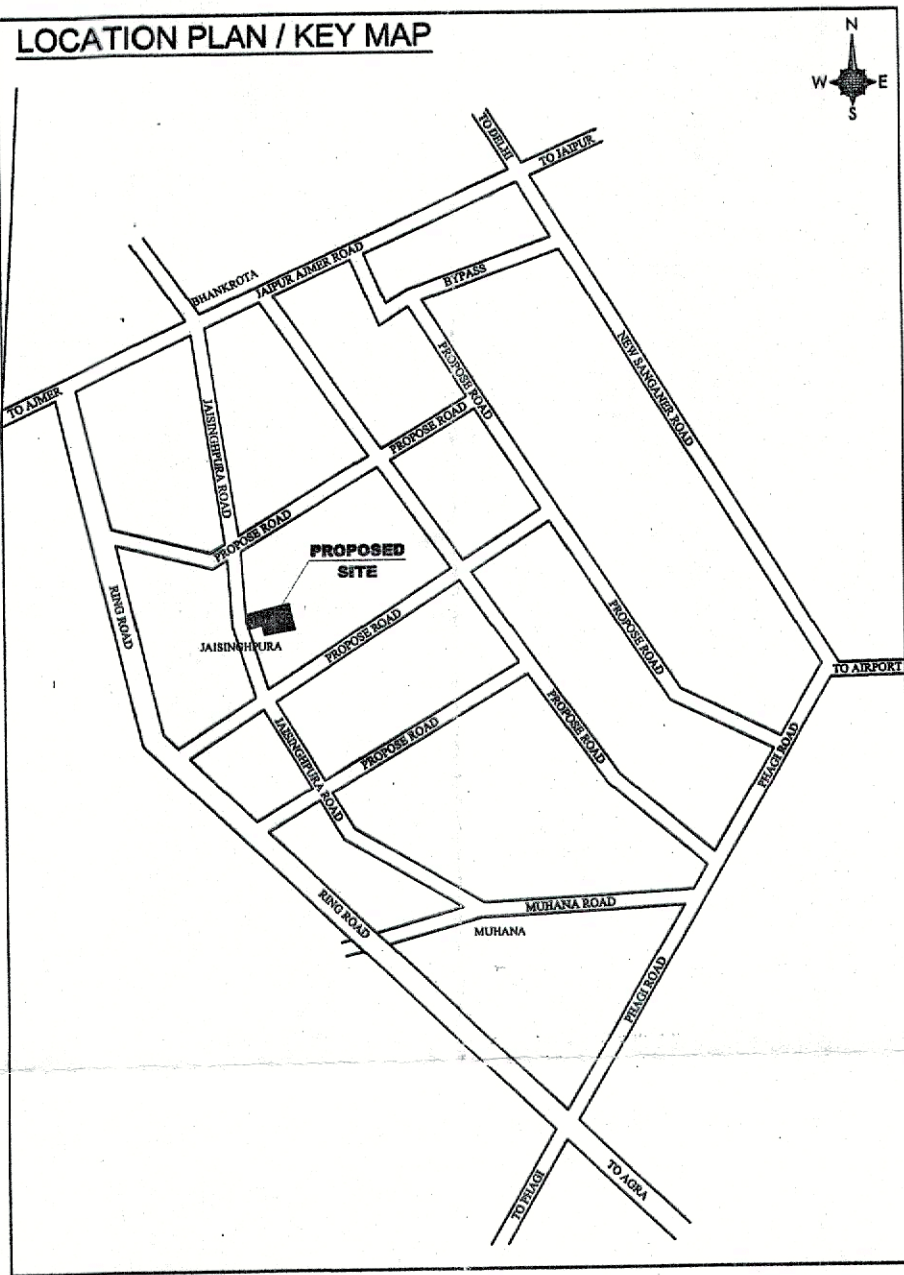
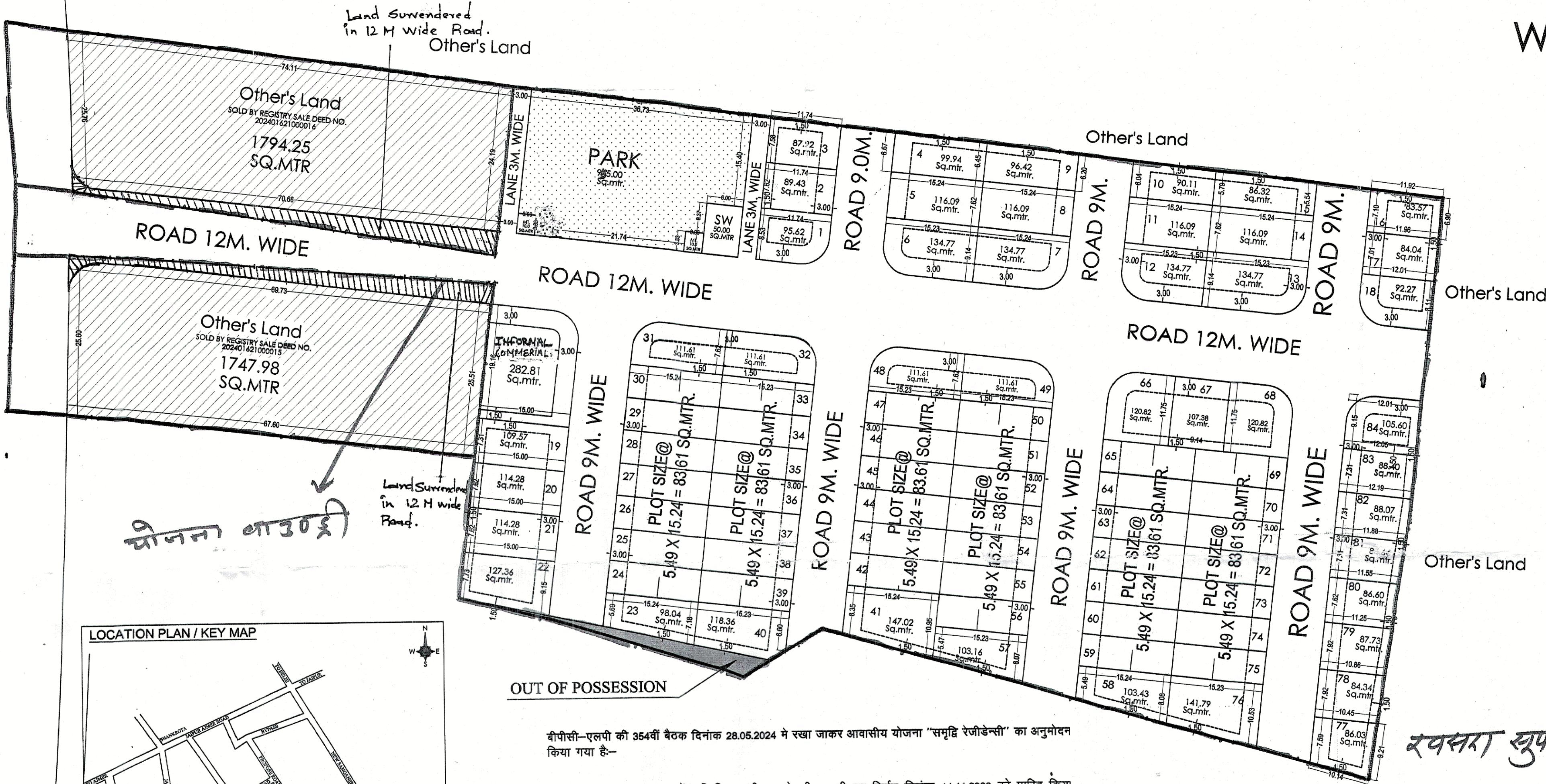


PROPOSED LAYOUT PLAN OF "SAMRIDHI RESIDENCY"

UNDER KHASRA NO.- 763
AT REVENUE- VILLAGE- JAISINGHPURA, TEH.-SANGANER, JAIPUR
SCALE = 1:500



EXISTING ROAD 60.0M WIDE



OUT OF POSSESSION

बीपीसी-एलपी की 354वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 में रखा जाकर आवासीय योजना "समृद्धि रेजिडेंसी" का अनुमोदन किया गया है:-

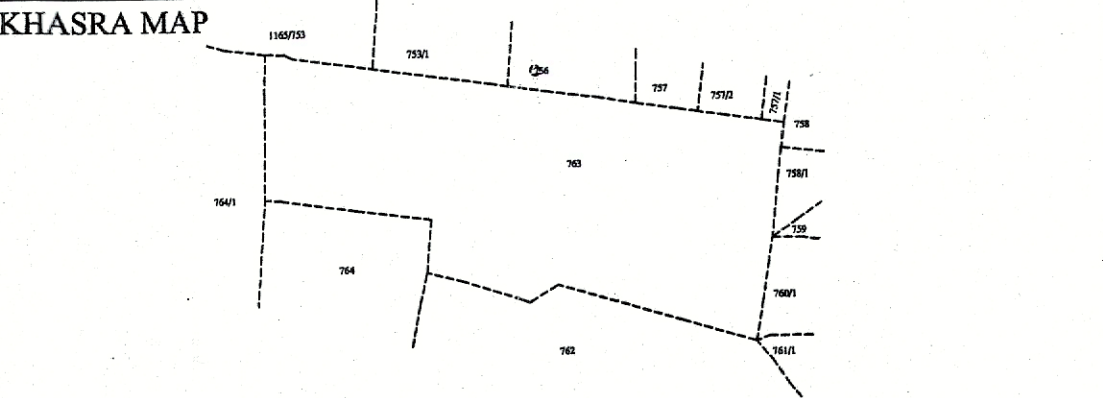
- आवासीय एकल भूखण्ड में सम्मिलित सभी खसरो की 90-वीं का निर्णय दिनांक 11.11.2009 को पारित किया गया है।
- उक्त आवासीय योजना "समृद्धि रेजिडेंसी" की भूमि रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमा प्रमाणीकरण तहसीलदार व पटवारी द्वारा किया गया है।
- उक्त आवासीय योजना "समृद्धि रेजिडेंसी" में आवेदक द्वारा भूमि के सामने जोनल विकास योजना-10 की 60 मीटर सड़क का भाग है आवेदक द्वारा प्रस्तावित 60 मीटर सड़क से प्रभावित भूमि को निःशुल्क समर्पण नामा प्रस्तुत किया गया है। समर्पित भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का जोनल विकास योजना-10 की 60 मीटर सड़क का भाग होने एवं उक्त भूमि से प्रसंगत भूमि को पहुंच उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में नविष्ठ में उक्त भूमि हेतु किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
- उक्त आवासीय योजना में 60 मीटर सड़क से प्रस्तावित दर्शित 12 मीटर सड़क (क्षेत्रफल 811.00 वर्गमीटर) हेतु समर्पित भूमि को जविषा के नाम दर्ज करा दिया गया है।
- आवेदक द्वारा ई.डब्ल्यू.एस./एस.आई.जी के समतुल्य राशि जमा दर्ज कर दी गई है।
- उक्त आवासीय एकल भूखण्ड मानचित्र टाउनशिप पोलिसी-2010 के प्रावधानानुसार जारी किया गया है।
- उक्त आवासीय एकल भूखण्ड पर पैरामीटर्स भवन विनियम-2020 के जारी की गई है।
- उक्त आवासीय योजना "समृद्धि रेजिडेंसी" का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार क्षेत्रफल को नौ के पर उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल से गिलाव करते हुए टाउनशिप पोलिसी के प्रावधान अनुसार मानचित्र जारी किया गया है।
- उक्त आवासीय योजना में सनस्त लेय राशि यथा बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क/पुनर्गठन आदि की गणना लेखाकार द्वारा निकाली गई राशि जमा दर्ज है।
- आन्तरिक विकास कार्य के एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड जविषा में रहन रखे जाते हैं :- भूखण्ड संख्या-19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कुल भूखण्ड 12 क्षेत्रफल 1148.8 वर्गमीटर रहन रखे गये हैं।

NOTE -

बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा किए गये निर्माण के क्रम में आवेदक द्वारा 40.8 के क्षेत्रफल में अंकीत क्षेत्रफल को प्रति मी. के क्षेत्रफल के बाहर की भूमि को छोड़ते हुए टाउनशिप पोलिसी के प्रावधानानुसार मानचित्र जारी किया गया है।

LEGENDS:-

AS PER KHASRA LINE



मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

- पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड -
- चार दीवारी निर्मित भूखण्ड -
- खाली भूखण्ड -

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.mtr)	प्रतिशत
1	RESIDENTIAL	8021.57	57.155 %
2	INFORMAL COMM.	282.81	02.015 %
3	कचरा निस्तारण केन्द्र	50.00	00.357 %
4	टेलीकॉम टॉवर (1)	10.00	00.071 %
5	टेलीकॉम टॉवर (2)	10.00	00.071 %
6	PARK	955.00	06.804 %
7	ROAD	4705.32	33.527 %
(A) SCHEME AREA		14034.70	100.000 %
(B) OUT OF POSSESSION		75.00 Sq.mtr	
TOTAL SCHEME AREA (A+B)		14109.70 (1.4109 Hect.)	
ZDP ROAD SURRENDER AREA IN 60.0 MTR WIDE		100.66 Sq.Mtr	
KHATEDAR AREA		14210.36 (1.4210 Hect.)	

KHASRA NO :- 763
NAME OF SCHEME :- SAMRIDHI RESIDENCY
VILLAGE :- JAISINGHPURA
TEH. :- SANGANER, JAIPUR

ZONE NO. 11

SCALE 1:500 DRG. NO.

A.T.P. ZONE D.T.P. S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

SURVEY CONSULTANT:-



Naapchitra
-Naapchitra Consultancy-
Add.- 729, 7th Floor, Mansarovar Plaza,
Mansarovar, Jaipur (Raj.) 302020
Mob.- 7742865682, 9785400988
Mail - naapchitraconsultancy@gmail.com